

विज्ञापन
अतिथि व्याख्याताओं के अध्यापन कार्य हेतु सूचना

महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था, आदेशानुसार छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर आदेश क्र एफ 3-54/2020/38-1 नया रायपुर, दिनांक 07.07.2023 तथा 504/126/आउशि/राज.स्था./2023 नया, रायपुर, अटल नगर दिनांक 10/07/2023 सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को अध्यापन कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपरिथत होकर दिनांक 27.07.2023 तक सायं 5.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तर पर 50% एवं स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% प्राप्तांक होना अनिवार्य है। अजा. अजजा. के उम्मीदवारों को नियमानुसार 5% की छूट का प्रावधान है। नेट/स्लेट/पी.एच.डी./एम.फिल उम्मीदवारों को शासन के नियमानुसार अधिभार की पात्रता रहेगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रति व्याख्यान शासन के नियमानुसार मानदेय दिया जायेगा।

निम्नलिखित विषयों में अतिथि व्याख्याता के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

| क्र. | विषय | रिक्त पद |
|------|-----------------|----------|
| 1 | हिन्दी साहित्य | 01 |
| | राजनीति शास्त्र | 01 |

यह व्यवस्था निम्न शर्तों की अधिन होगी:

- उपरोक्त पद हेतु शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय - समय पर एवं आयुक्त उच्च शिक्षा रायपुर के आदेश के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रवीण्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रवीण्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार अध्यापन हेतु बुलाया जा सकेगा। मानदेय राशि 300 रु. प्रति व्याख्यान (45 मिनट) देय होगा प्रतिदिन अधिकतम 1200.00/- तथा प्रतिमाह अधिकतम 31.200/- रु. देय होगा।
- अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे।
- चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई उपराधिक प्रकरण लंबित न हो तथा शासकीय /अर्द्ध शासकीय सेवक न हो इस आशय का कार्यभार ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- लोक सेवा आयोग से नियुक्ति /स्थानान्तरण/शासन के आगामी आदेश / संतोषजनक सेवा न होने पर अतिथि व्याख्याता की व्यवस्था को बिना पूर्व सूचना के प्राचार्य समाप्त कर सकेंगे।

क्र. /अतिथि व्याख्याता/2023

प्रतिलिपि :

- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग ब्लाक -सी 30 द्वितीय एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन नया रायपुर छ.ग.को सूचनार्थ।
- जिलाधीश महोदय, दुर्ग छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
- कुल सचिव, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, कृप्या उपरोक्त सूचना, सूचना पटल पर चस्पा करने का कष्ट करें।
- प्राचार्य शा. वि.या.ता. स्वा. महाविद्यालय दुर्ग, कृप्या उपरोक्त सूचना, सूचना पटल पर चस्पा करने का कष्ट करें।
- प्राचार्य समस्त महाविद्यालय कृप्या उपरोक्त विज्ञापन सूचना पटल पर चस्पा करने का कष्ट करें।
- रोजगार अधिकारी, रोजगार कार्यालय दुर्ग, कृप्या उपरोक्त सूचना, सूचना पटल पर चस्पा करने का कष्ट करें।
- महाविद्यालय के सूचना पटल हेतु, उपरोक्त सूचना, सूचना पटल पर चस्पा करने का कष्ट करें।
- प्रति, संपादक.....दुर्ग छ.ग., जनहित में अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

बोरी दिनांक 18/07/2023
PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, BORI
DIST.-DURG

(डॉ. आनंद कुमार विश्वकर्मा)
GOVT. COLLEGE, BORI
DIST.-DURG